

सेवा में

जन सुचना अधिकारी,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,
नई दिल्ली.

CR-337

14/08/17 9:04:40 PM

7910

14/08/17

विषय :- सुचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुचना प्राप्त करने बारे.

श्रीमान जी.

सविनय निवेदन यह है की प्रार्थी को सुचना अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत निम्नलिखित सुचना प्रदान करने की कृपा करे:-

श्रीमान जी मुख्यालय के आदेश स. A/1/3(IV-05)/2015/ 66253-352/CB-IV/ PHQ, dated 09.11.2015 के अनुसार 603 प्रधान सिपाहियों को ASI (Adhoc) बनाया गया था. Inspr. CR/PHQ साहब कहते है कि ASI (Adhoc) को Conv. Allow. रुपये 450/- नहीं दिया जा सकता केवल Cycle Allow. ही प्रदान किया जा सकता है. जबकि कई जिला इकाइयों में ASI (Adhoc) को Conv. Allow. रुपये 450/- प्रदान किया जा रहा है. अतः निम्न सुचना प्रदान करे:-

- (1) कि दिल्ली पुलिस में प्रत्येक जिला इकाई में कितने ASI (Adhoc) को Conv. Allow. रुपये 450/- प्रति महा प्रदान किया जा रहा है व किस नियम से दिया जा रहा है कॉपी उपलब्ध कराए
- (2) कृपया अवगत कराए की अन्य जिला/ इकाई में दिया जा रहा है तो PHQ में क्यों नहीं दिया जा रहा है.

नोट :- नियम अनुसार फीस की रशीद सलग्न है.

प्रार्थी



(भरत सिंह)

ASI (Exe), No. 3665/E

PIS-28882351

Admn. Br./PHQ

Mob. 09891190851